



हर कदम, हर डगर  
किसानों का हमसाफर  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद



भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI  
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)  
शिमला- 171 001, हि.प्र. (भारत)  
ICAR-Central Potato Research Institute  
(Indian Council of Agricultural Research)  
Shimla 171 001, H.P. (INDIA)

Telephones: 0177-2625073 (O) Fax: 0177-2624460 Email: directorcpri@gmail.com, dircpri@icar.org.in Website: http://cpri.ernet.in

फा0सं018-5 / 2017-18 / Unserviceable/Condemnation/भण्डार /

दिनांक: 23 फरवरी, 2019

सेवा में,

-----  
-----  
-----

विषय: संस्थान, ग्रीन पार्क कलोनी, खलीनी तथा लोअर लैब, कनलोग में अनुपयोगी पुरानी लकड़ी के बत्ते, खिड़कियों, पेलमेंट व लकड़ी के टुकड़ें इत्यादि को बेचने हेतु – निविदा आमन्त्रण।

सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, ग्रीन पार्क कॉलोनी, खलीनी व लोअर लैब, कनलोग में अनुपयोगी पुरानी लकड़ी इत्यादि जिनकी लगभग मात्रा 16 घनमीटर 6400 किलोग्राम अनुपयोगी लकड़ी को बेचा जाना है। अतः आपसे इन आइटमों की बिक्री/नीलामी हेतु निविदा (Quotation) आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में नियम व शर्तें इस प्रकार से हैं:-

1. निविदा में जिस फर्म के रेटस सबसे अधिक होंगे उसे उक्त आइटम बेचे जायेंगे।
2. यदि उपरोक्त पुरानी व अनुपयोगी आइटमों को देखना चाहें तो कार्यालय के कार्य दिवस सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संस्थान के अभियंत्रण अनुभाग से सम्पर्क कर देख सकते हैं।
3. निविदायें दिनांक 15.03.2019 को शाम 2:00 बजे खोली जायेंगी। निविदा दिनांक 15.03.2019 को शाम 1:00 बजे तक संस्थान के भण्डार अनुभाग में पहुँच जानी चाहिए अन्यथा उसके बाद निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. सबसे अधिक रेटस कोड करने वाले बोलीदाता को यह सामान जहां है जैसा है उठाने से पूर्व निविदा में दर्शाई गई राशि संस्थान के खाते में जमा करनी होगी।
5. संस्थान के निदेशक महोदय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कारण बताए निविदा को रद्द कर सकते हैं। बिक्री/नीलाम किया गया सामान तीस दिन के भीतर यह सामान जहां है जैसा है उठाना होगा अन्यथा उसे रुपये 500/- प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होगा। सफल फर्म को यह आशवासन देना होगा कि वह संस्थान की अन्य प्रापर्टी का किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा अन्यथा इस प्रकार के नुकसान की भरपाई का वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
6. यदि कोई वाद-विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में संस्थान के निदेशक का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी(एस0 एड पी0)

नोट: यह सेल सिमित निविदाओं के आधार पर की जानी है। इसलिए आमंत्रित फर्मों/व्यक्तियों की निविदाओं पर ही विचार किया जायेगा। जिनके लिए लोकल बैंडरों को स्पीड पोस्ट द्वारा निविदा आमन्त्रण पत्र जारी किया गया है।